मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2015-आषाढ़ 19, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

प्रधान कार्यालय "वित्त भवन" मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर-452 001

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की साठवीं वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त, 2015 को दोपहर 2.00 बजे "वित्त भवन" मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा:-

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के सम्बन्ध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार.
2. वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार.
3. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.

निगम की अंशबही दिनांक 18 जुलाई, 2015 से 7 अगस्त, 2015 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

नोट :—

(क) साठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 3 अगस्त, 2015 तक पहुंच जाना चाहिए.

(ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व, अर्थात् 30 जुलाई, 2015 तक पहुंच जाना चाहिए.

(ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी.

संचालक मण्डल के आज्ञानुसार

04 जुलाई, 2015
"वित्त भवन"
मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर-452 001.
(198-बी.)

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation "Finance House", Mumbai-Agra Road, Indore on Friday, 7th August, 2015 at 2.00 P.M. to transact the following business :—

1. To Read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31st March, 2015 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.

2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2015-16.

3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain closed from 18th July, 2015 to 7th August, 2015 (both days inclusive).

Notes :—

(a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 60th Annual General Meeting should reach the office of the Corporation not later than four clear days *i. e.* 3rd August, 2015.

(b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting *i. e.* 30th July, 2015.

(c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

By Order of the Board of Directors,

K. C. Gupta,
Managing Director.

4th July, 2015
"Finance House"
Mumbai-Agra Road,
INDORE-452 001.

(198-A-B.)

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as LALJI GARG Son of Shri ISHWAR DEEN GARG employed as Private Company residing at Akash Ganga Nagar, South Pateri, Dist. Satna, Madhya Pradesh have changed my name and shall hereafter be known as LALJI SHUKLA. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Old Name : New Name :
(LALJI GARG) **(LALJI SHUKLA)**

(193-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी बच्ची का नाम सांई सुबी लागलवार के नाम से स्कूली दस्तावेजों में अंकित है. वास्तव में मेरी बच्ची का नाम श्रुती लागलवार (SHRUTI LAGALWAR) है. भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

राजेश लागलवार,
क्वाटर नं. 114/ए-50, शिवाजी नगर,
भोपाल (मध्यप्रदेश).

(194-बी.)

NOTICE
U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm " M/s SPACE WORLD " of Bhopal Vide Reg. No. 69/2001, Dated 17-09-2001 has undergone the following changes:-

1. That Shri Manmohan Shrivastava S/o Shri Radha Mohan Shrivastava has desire to retire from the partnership firm *w. e. f.* 06-01-2002.
2. That Shri Ayush Palod S/o Shri Ashok Palod has Joined the partnership firm *w. e. f.* 01-04-2012.

M/s SPACE WORLD,
ASHOK PALOD,
(Partner).
35, Indira Press Parisar,
Bhopal (M.P.).

(175-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स वेलकिन इंटरप्राइजेज के भागीदार श्री राजेश चौरसिया का दिनांक 14 फरवरी, 2015 को निधन हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नि श्रीमती अमला चौरसिया को दिनांक 14 फरवरी, 2015 से फर्म का भागीदार बनाया गया है.

मेसर्स वेलकिन इंटरप्राइजेज,
अनुराग चौरसिया,
अमला चौरसिया,
(भागीदार)

(191-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स अथर्व इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटीज मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00050/14, दिनांक 01 मई, 2014 पर पंजीयत फर्म है, जिसका वर्तमान पता ई-7/28, लाला लाजपत राय सोसाइटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल है, भागीदारों (1) श्री आयुष मूंदड़ा आत्मज श्री कृष्ण कुमार मूंदड़ा, (2) श्री चेतन्य शर्मा आत्मज श्री विनोद कुमार शर्मा, (3) श्री सत्यवीर कौशल आत्मज श्री विजेन्द्र कौशल एवं (4) श्री अभिजीत त्रिपाठी आत्मज श्री दयाराम त्रिपाठी द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2014 को मेसर्स अथर्व इंफ्रास्ट्रक्चर्स की नाम से भागीदारी फर्म का गठन किया गया था. संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 18 मई, 2015 के अनुसार उक्त फर्म में से श्री सत्यवीर कौशल आत्मज श्री विजेन्द्र कौशल एवं श्री अभिजीत त्रिपाठी आत्मज श्री दयाराम त्रिपाठी स्वेच्छा से दिनांक 18 मई, 2015 को सेवानिवृत्त हो गये तथा भागीदारी फर्म में दिनांक 18 मई, 2015 से (1) श्री आयुष मूंदड़ा आत्मज श्री कृष्ण कुमार मूंदड़ा एवं (2) श्री चेतन्य शर्मा आत्मज श्री विनोद कुमार शर्मा बचे हैं, उपरोक्त दोनों भागीदारों के अतिरिक्त उक्त भागीदारी फर्म के अन्य कोई भी भागीदारी शेष नहीं बचे हैं, अब उक्त भागीदारी फर्म में श्री आयुष मूंदड़ा एवं श्री चेतन्य शर्मा भागीदार हैं, उनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से उक्त फर्म के नाम से किसी भी प्रकार का लेन-देन, संव्यवहार न करें.

प्रदीप कुमार शर्मा,
(अधिवक्ता).

(192-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भवानीशंकर कन्स्ट्रक्शन जिसका पंजीयन क्रमांक 06/11/01/00009/08, दिनांक 27 मई, 2008 है जो कि सागर फर्म एण्ड सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध है. जिसके एक भागीदार श्री भास्कर दीक्षित जी की दिनांक 18 नवम्बर, 2012 को मृत्यु हो जाने के कारण वह फर्म से पृथक् हो गये. श्री एम.पी. शर्मा पिता श्री डी.पी. शर्मा, उम्र 72 वर्ष, निवासी गस्त का ताजिया, ग्वालियर मध्यप्रदेश, 2. श्रीमती गीता जड़िया पति श्री रामकृपाल जड़िया, उम्र 45 वर्ष, निवासी टिकुरिया मौहल्ला, जिला पन्ना मध्यप्रदेश, 3. भानु प्रसाद द्विवेदी पिता हलके प्रसाद द्विवेदी, उम्र 47 वर्ष, निवासी गल्लामण्डी के पास, टिकुरिया मौहल्ला, पन्ना, तह. व जिला मध्यप्रदेश तीनों भागीदार अपनी स्वेच्छा से दिनांक 4 जुलाई, 2015 को सहभागिता फर्म से पृथक् हो गये हैं. अत: वर्तमान में केवल दो भागीदार श्री श्रीकांत दीक्षित पिता स्व. श्री भास्कर दीक्षित, उम्र 49 वर्ष, निवासी टिकुरिया मौहल्ला तह. व जिला पन्ना मध्यप्रदेश और श्री रामलखन त्रिपाठी पिता स्व. श्री रामसजीवन त्रिपाठी उम्र 49 वर्ष, निवासी इंद्रपुरी कॉलोनी, आर.पी. स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय के पीछे, तह. व जिला पन्ना मध्यप्रदेश द्वारा सहभागिता फर्म.

मेसर्स भवानीशंकर कन्स्ट्रक्शन,
श्रीकांत दीक्षित,
(पार्टनर)
टिकुरिया मौहल्ला, तह. व जिला पन्ना (मध्यप्रदेश).

(195-बी.)

NOTICE

NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for public information that Shri Karan Yadav S/o Late Shri Sameer Yadav who was admitted to the benifits of partnership firm M/s SAPNA CHAMBER, at 12/1, SOUTH TUKOGANJ, INDORE *vide* partnership deed dated 04-10-2005 as minor has attained majority on 15-03-2014 and opted to, become partner in the said firm as from 15-03-2014 and accordingly become partner in the said firm as from 15-03-2014.

The partners of the firm continued to admit Master Kunal Yadav S/o Late Shri Sameer Yadav to the benefits of the said partnership firm in this deed, thus, the constitution of the firm stands altered accordingly.

For-M/s SAPNA CHAMBER,

RAMKISHAN YADAV,

(196-B.) (Partner)-

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन

प्र. क्र./ 02/बी-113 (1)/2014-15.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30, 1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन.

चूँकि प्रार्थी श्री विजय कुमार पिता मोहनलाल पाटीदार, निवासी खरगौन द्वारा "जय श्री अम्बे सेवा संस्थान ट्रस्ट" के नाम से ग्राम नंदगांव बगुद में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक-30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	नगद	—	—	5,000.00 रुपये
2.	अचल सम्पत्ति	—	—	—

(366)

प्र.क्र. 05/बी-113(1)/12-13.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30, 1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन.

चूंकि प्रार्थी अध्यक्ष "मुस्लिम मंसुरी जमात, गोगांवा" गोगांवा, तहसील गोगांवा द्वारा ट्रस्ट "मुस्लिम मंसुरी जमात, गोगांवा" के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक-30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो

प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1	2	3	4	5
1.	नगद	—	—	11,000=00
2.	अचल सम्पत्ति	—	—	—

महेन्द्रसिंह कवचे,

(366-A) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास का पंजीयक क्षेत्र मनावर, जिला धार

मनावर, दिनांक 16 जून, 2015

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री जाकीर हुसैन पिता अब्दूल शकुर खत्री, निवासी मनावर, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) द्वारा मुस्लिम रंगारा पंच कमेटी जमातखाना, मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 17 जुलाई, 2015 को प्रात: 11.00 बजे की जावेगी.

उक्त पंजीयन के सम्बन्ध में यदि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह मेरे समक्ष उपर्युक्त तारीख पर या व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त नियत अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	..	मुस्लिम रंगारा पंच कमेटी जमातखाना, मनावर, जिला-धार (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	..	रु. 5,000/- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मनावर में जमा.
अचल सम्पत्ति	..	कस्बा मनावर में वार्ड क्रमांक 11, जवाहर मार्ग गली नं.-1, मकान नम्बर 68 एवं पड़त भूमि 20 बाय 70 फीट जवाहर मार्ग मस्जिद के सामने, मनावर, जिला धार (म.प्र.).

सत्येन्द्र सिंह,

(362) अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक-न्यास, ग्वालियर

प्र.क्र. 03/2014-15/बी-113(1). ग्वालियर, दिनांक 12 जून, 2015

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक श्री चमनलाल जी साहनी पुत्र स्व. श्री नंदलाल जी साहनी, निवासी चेतकपुरी, ग्वालियर, श्री आनंद मुनी पंजाबी उर्फ ललित वाधवा पुत्र स्व. श्री आर. आर. वाधवा, निवासी 13, श्रृद्धा नगर भुसावल महाराष्ट्र एवं श्री कमल कृष्ण बंसल पुत्र स्व. श्री गणेश चंद बंसल, निवासी श्री गोविन्द प्रभु आवार, लोहिया बाजार, कलारी वाली गली, जिला ग्वालियर संरक्षक एवं मुख्य संस्थापक न्यासीगण एवं अन्य न्यासीगण ने "श्रीकृष्ण मंदिर महानुभाव आश्रम ट्रस्ट" स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने पाटनकर बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 24 जुलाई, 2015 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 24 जुलाई, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम	:	"श्रीकृष्ण मंदिर महानुभाव आश्रम ट्रस्ट"
लोक न्यास का पता	:	बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने पाटनकर बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश.
2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन :		
1. चल सम्पत्ति	:	63,000/- रुपये.
2. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

महीप तेजस्वी,
पंजीयक.

(363)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा

प्र. क्र......../बी-113(1)/2014-15. जारी दिनांक 07 जून, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि आवेदक बलराम पिता मांगीलाल पटेल, निवासी ग्राम सेल्दा, पो. बलवाडा, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन द्वारा श्री जादम गुर्जर समाज धर्मशाला कमेटी गोदडपुरा, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27 मई, 2015 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता.	..	श्री जादम गुर्जर समाज धर्मशाला कमेटी गोदडपुरा, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति	..	1. रुपये 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) नगद. 2. धर्मशाला की सामग्री अनुमानित मूल्य 2,00,000 (दो लाख रुपये) मात्र.
अचल सम्पत्ति	..	ग्राम गोदडपुरा में स्थित भूमि एवं इस पर बना धर्मशाला भवन, बाजार मूल्य 2,00,00,000/- दो करोड़ रुपये.

बी. कार्तिकेयन,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(364)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन

गौहरगंज, दिनांक 28 मई, 2015

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष :- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट गौहरगंज, जिला रायसेन मध्यप्रदेश.

जैसा कि आवेदक राजा भोजपाल न्यास मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दशाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 29 जून, 2015 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति संस्था जो ट्रस्ट में या ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करे अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	..	राजा भोजपाल न्यास मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट मध्यप्रदेश.
कार्यालय का पता	..	राजा भोज न्यास मकान नं. 7/34, प्रेमनगर चौराह, विवेक जाग्रति रोड, मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति का विवरण	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	11,000/- रुपये.

राजेश श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी.

(365)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक-न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2014-15. जारी, दिनांक 12 मई, 2015

प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल जैन, निवासी ग्राम शाहपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर (म.प्र.) ने "जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, शाहपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 16 जून, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता.	:	"जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, शाहपुर तहसील व जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश)".
2. चल सम्पत्ति	:	निरंक.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

के. आर. बड़ोले,
पंजीयक.

(367)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 19 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	माँ पार्वती महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या., मंझानिया	36/26-12-2003	516/06-05-2015

अत: मैं, के. के. कांगले, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

के. के. कांगले,

(347) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 19 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	माँ अम्बे महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या., बरवाल	11/09-01-2002	513/06-05-2015
2.	माँ संतोषी महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ति. गोविन्द.	44/15-12-2004	519/06-05-2015

अत: मैं, मनीष चौधरी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

मनीष चौधरी,

(348) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 19 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	माँ वैष्णव महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या., लडावद	12/09-01-2002	514/06-05-2015

अत: मैं, बी. एस. भवर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

बी. एस. भवर,

(349) परिसमापक एवं वरि. सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 19 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	माँ दुर्गा महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या., पाडली	42/15-12-2004	518/06-05-2015

अत: मैं, आर. के. असाटी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. के. असाटी,

(350) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 19 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	माँ गायत्री महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या., रंथभवर	13/09-01-2002	515/06-05-2015

अत: मैं, सुधीर जैन, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

सुधीर जैन,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(351)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग)के अन्तर्गत]

उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी जिला छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., धामची	15/12-09-1950	1491/28-08-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उनका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. के. शर्मा,
वरि.सहकारी निरीक्षक.

(356)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत पत्र क्रमांक 708, दिनांक 06 मार्च, 2015 को कृषि नगर कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 05 नवम्बर, 1985 कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया. जिसके अनुसार संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों से कोई कार्य नहीं करना संस्था का अकार्यशील होना एवं उसके द्वारा अधिनियम की शर्तों का अनुपालन नहीं करना स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

इस सम्बन्ध में संस्था को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ एवं स्वयं व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई पदाधिकारी व्यक्ति: उपस्थित हुआ.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि नगर कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 05 नवम्बर, 1985 को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री गिरीश शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(368)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नजरपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 497, दिनांक 30 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा सद्भावना साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1505, दिनांक 26 अप्रैल, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमति स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 271, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा भवन निर्माण साम्रगी उत्पादक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 22 सितम्बर, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा सर्वहितकारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1380, दिनांक 13 फरवरी, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमति स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(368-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं धारा-53 (12)के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा माँ शारदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरियाकलां (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक/डी.आर./सी.डब्ल्यू.ए/861, दिनांक 10 जनवरी, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. के. शर्मा, स. वि. अ. चौरई को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

सोसायटी के सदस्यों की सदस्यों की विशेष आमसभा दिनांक 15 अप्रैल, 2015 में सर्व-सम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार समिति को जीवित रखने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा परिसमापक द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2015 के द्वारा भी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन कार्य वर्तमान में चालू होने से संस्था को पुनर्जीवित रखे जाने की अनुशंसा की गई है व लेख किया है कि संस्था को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है. यह भी कि संस्था पंजीयन के समय नामांकित कमेटी को ही संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न होने तक पुनः नामांकित करने का लेख किया गया है. ऐसी स्थिति में मेरी राय में संस्था को पुनर्जीवित करना उपयुक्त है.

अतः मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 को निरस्त करता हूँ एवं पंजीयन आदेश में नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक पुनः नामांकित करता हूँ, जो निम्नानुसार है:-

1.	श्री मंगलमूर्ति सनोडिया	अध्यक्ष
2.	श्री टीकाराम सनोडिया	उपाध्यक्ष
3.	श्री विजय कुमार सनोडिया	संचालक
4.	श्री मनोज सनोडिया	संचालक
5.	श्री शिवदयाल सनोडिया	संचालक
6.	श्री प्रेमनारायण शर्मा	संचालक

7.	श्रीमति नेमकुमारी शर्मा	संचालक
8.	श्री बिन्दालाल नागवंशी	संचालक
9.	श्रीमति शांताबाई शर्मा	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(369)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं धारा-53 (12)के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा नीलकंठ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./सी.डब्ल्यू.ए/869, दिनांक 10 जनवरी, 2014 (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. चौकसे, स. वि. अ. छिन्दवाड़ा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

सोसायटी के सदस्यों का सामूहिक आवेदन दिनांक 08 मई, 2015 जिसमें सदस्यों द्वारा समिति को पुर्नजीवित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर परिसमापक द्वारा सदस्यों के हित में सोसायटी को पुर्नजीवित करने हेतु संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 24 मई, 2015 को आयोजित की गई जिसमें सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री चौकसे, स. वि. अ. ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है. मेरी राय में सोसायटी सदस्यों के हित में सोसायटी को अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अत: मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 को निरस्त करता हूँ एवं पंजीयन आदेश में नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक पुन: नामांकित करता हूँ, जो निम्नानुसार है:-

1.	श्री अजमेरसिंह/होशियारसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री संजयसिंह/कमलसिंह रघुवंशी	उपाध्यक्ष
3.	श्री संतलाल/झनकलाल यादव	संचालक
4.	श्रीमति बिरिया/होशियारसिंह रघुवंशी	संचालक
5.	श्रीमति काशी/छबील सिंह रघुवंशी	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 03 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(369-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं धारा-53 (12)के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/986, दिनांक 01 अगस्त, 2013 के द्वारा बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./सी.डब्ल्यू.ए/398, दिनांक 17 जनवरी, 1981 (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री के. आर. निमजे, तकनीकी निरीक्षक, सौंसर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा सदस्यों के हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने हेतु संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 15 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई जिसमें सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री के. आर. निमजे, तकनीकी निरीक्षक, सौंसर ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुर्नजीवित करने की अनुशंसा की है. मेरी राय में सोसायटी सदस्यों के हित में सोसायटी को अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अत: मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/986, दिनांक 01 अगस्त, 2013 को निरस्त करता हूँ एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने

तक पुन: नामांकित करता हूँ, जो निम्नानुसार है:-

1.	श्री सुखमन बेंडे/जगन्नाथ जी	अध्यक्ष
2.	श्री धर्मदास हेडाऊ/नत्थूदासजी	उपाध्यक्ष
3.	श्री कपिल हेडाऊ/गम्भीरदास	संचालक
4.	श्री दिलीप बोकड़े/ज्ञानदास	संचालक
5.	श्रीमति सुमनवाई हेडाउ/गम्भीरदास	संचालक
6.	श्रीमति पुनीबाई हेडाउ/हीरामन	संचालक

उक्त नामांकित कमेटी आगामी 3 माह में संस्था का निर्वाचन कराने के लिये उत्तरदायी होगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

दौलतराम गेडाम,
उप-पंजीयक.

(369-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 09 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1045.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौनारी, तहसील जौरा, पंजीयन क्रमांक 929, दिनांक 23 फरवरी, 1991 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन/2004, दिनांक 11 फरवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत श्री विजय गोतम CEO, जौरा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गोतम CEO, जौरा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां, देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(370)

मुरैना, दिनांक 09 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1046.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हारगांगोला, तहसील जौरा, पंजीयन क्रमांक 647, दिनांक 20 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन/2004, दिनांक 11 फरवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत श्री विजय गोतम CEO, जौरा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गोतम CEO, जौरा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां, देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(370-A)

मुरैना, दिनांक 09 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1047.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसोटा, तहसील जौरा, पंजीयन क्रमांक 646, दिनांक 30 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन/2004, दिनांक 11 फरवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत श्री विजय गोतम CEO, जौरा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गोतम CEO, जौरा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां, देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(370-B)

मुरैना, दिनांक 09 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1048.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अगरोला, तहसील जौरा, पंजीयन क्रमांक 878, दिनांक 11 फरवरी, 2011 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन/2004, दिनांक 11 फरवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत श्री विजय गोतम CEO, जौरा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री विजय गोतम CEO, जौरा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां, देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(370-C)

मुरैना, दिनांक 12 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1092.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैपशी, तहसील कैलारस, पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 31 मार्च, 1980 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन/2008, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां, देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(370-D)

मुरैना, दिनांक 12 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1093.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टैंटरा, तहसील सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 659, दिनांक 20 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन/2008, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां, देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(370-E)

चम्बल हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रामनगर मुरैना, पंजीयन क्रमांक 484, दिनांक 06 सितम्बर, 1994 के अकार्यशील होने से संस्था धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में रही है. संस्था के परिसमापक श्री भास्कर शर्मा, व. स. नि. मुरैना द्वारा संस्था के पुनर्जीवन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार संस्था सदस्यों द्वारा संस्था को पुन: कार्यशील करने की इच्छा दर्शायी गई है. संस्था के परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था के परिसमापन आदेश को निरस्त करते हुये पुनर्जीवित करता हूँ तथा संस्था के निर्वाचन होने तक संस्था के कार्य संचालन के लिये धारा-53 (12) के अंतर्गत श्री भास्कर शर्मा को प्रशासक नियुक्त करता हूँ. यह भी निर्देशित करता हूँ संस्था के निर्वाचन 03 माह में पूर्ण करा लिये जावें.

यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.

(370-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/246.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/181, खण्डवा, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा ओम महिला रेत उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, बिल्लोराखुर्द, (पंजीयन क्रमांक 1667, दिनांक 19 मई, 1998) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. के. पाटीदार, उप-अंकेक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी एवं देनदारियों का निपटारा किये जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए ओम महिला रेत उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, बिल्लोराखुर्द, (पंजीयन क्रमांक 1667, दिनांक 19 मई, 1998) को विकासखण्ड पुनासा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(371)

खण्डवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2015/271.—श्री दादाजी बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारिता मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 04 अगस्त, 2002 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा पंजीयन के उपरांत बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अतः संस्था का निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है, और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री दादाजी बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारिता मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 04 अगस्त, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री ओ. पी. दुबे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(371-A)

खण्डवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2015/272.—अनमोल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 103, दिनांक 27 जुलाई, 2007 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा पंजीयन के उपरांत बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अतः संस्था का निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है, और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अनमोल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 103, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(371-B)

खण्डवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2015/273.—वर्धमान बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारिता मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 119, दिनांक 15 जुलाई, 2009 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा पंजीयन के उपरांत बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अतः संस्था का निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है, और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा वर्धमान बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारिता मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 119, दिनांक 15 जुलाई, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री एम. एल. अरणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(371-C)

खण्डवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2015/265.—शिवशक्ति बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., पाडल्या, पंजीयन क्रमांक 2045, दिनांक 27 जुलाई, 2007 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा पंजीयन के उपरांत बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अतः संस्था का निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है, और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा शिवशक्ति बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., पाडल्या, पंजीयन क्रमांक 2045, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत् श्री दीपक झबर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(371-D)

खण्डवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2015/266.—श्री लक्ष्मी बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारिता मर्या., बोरगांवबुजुर्ग, पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 18 जून, 2008 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा पंजीयन के उपरांत बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था का निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है, और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री लक्ष्मी बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारिता मर्या., बोरगांवबुजुर्ग, पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 18 जून, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आँस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत् श्री सुभाष चौहान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(371-E)

खण्डवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2015/267.—ब्रम्हा बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., धनगांव, पंजीयन क्रमांक 92, दिनांक 01 दिसम्बर, 2005 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा पंजीयन के उपरांत बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था का निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है, और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ब्रम्हा बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., धनगांव, पंजीयन क्रमांक 92, दिनांक 01 दिसम्बर, 2005 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आँस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत् श्री जी. एल. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(371-F)

खण्डवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2015/269.—माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बलवाडा, पंजीयन क्रमांक 2047, दिनांक 27 जुलाई, 2007 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा पंजीयन के उपरांत बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था का निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है, और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बलवाडा, पंजीयन क्रमांक 2047, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आँस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत् श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(371-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की आनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ककरावदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ककरावदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./804, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

(372)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र "

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोठिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोठिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./816, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

(372-A)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र "

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की आनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदाकला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदाकला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./815, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

(372-B)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किरवाया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किरवाया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./820, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

(372-C)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देरखी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देरखी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./813, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

(372-D)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिरनोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिरनोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./878, दिनांक 01 जुलाई, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

(372-E)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./852, दिनांक 04 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

(372-F)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र "

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूडरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूडरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./837, दिनांक 21 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

(372-G)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र "

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उकायला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उकायला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./840, दिनांक 22 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

(372-H)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015

"कारण बताओ सूचना-पत्र "

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है. पत्र की छाया प्रति संलग्न है.

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./843, दिनांक 26 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 जून, 2015 को जारी करता हूँ.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(372-I)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह

दमोह, दिनांक 22 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./संपद/विधि/2015/551.—बुन्देलखण्ड बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टीला, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह, पंजीयन क्रमांक/एआर/डीएमएच/593, दिनांक 20 सितम्बर, 2007 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) की जांच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-59 (1) के तहत् कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2014/1026, दमोह, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 के द्वारा जांच दल गठित कर जांच कराई. दल प्रभारी श्री यू. व्ही. एस. राठौर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 02 मार्च, 2015 में उल्लेखित अनियमितताओं एवं अभिमत के आधार पर इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/संपद/परिसमापन/2015/343, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर उत्तर 30 दिवस के अन्दर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कोई उपस्थित हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जांच दल द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वह सही है एवं संस्था पर लगाये गये आरोप उन्हें स्वीकार हैं. जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में निकाले गये. निष्कर्ष एवं अभिमत के आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-1-5-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत बुन्देलखण्ड बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टीला, पंजीयन क्रमांक/एआर/डीएमएच/593, दिनांक 20 सितम्बर, 2007, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक-पंजीयक.

(373)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/473.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/989, दिनांक 25 जुलाई, 2014 से श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक. . . . ., दिनांक. . . . . को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/989, दिनांक 25 जुलाई, 2014 से श्री वी. एस. रघुवंशी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित गुना, पंजीयन क्रमांक 714, दिनांक 02 मई, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(374)

गुना, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/474.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/989, दिनांक 25 जुलाई, 2014 से अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/989, दिनांक 25 जुलाई, 2014 से श्री वी. एस. रघुवंशी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 24 अप्रैल, 2014 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(374-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2015-आषाढ़ 19, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के ग्वालियर, शिवपुरी, अनूपपुर, बैतूल, मंडला व छिन्दवाड़ा जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, पोहरी, वदरवास (शिवपुरी), जैतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, बैतूल, मुल्ताई, आमला (बैतूल), बिछिया, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील परासिया, पांढुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कोलारस (शिवपुरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— ..

3. **बोनी.**— ..

4. **फसल स्थिति.**— ..

5. **कटाई.**—जिला धार, बुरहानपुर, होशंगाबाद में फसल गेहूँ, चना व सागर में मसूर, बटरी, चना व कटनी में तुअर, मसूर, चना व पन्ना, इन्दौर, खरगौन, सीहोर व बैतूल में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर, सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..			चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. भिण्ड	..		(2) ..		
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	1.4		4. (1) गन्ना, मूंगमोठ, तुअर, मूंगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..			चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..			चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	14.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	12.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	11.0				
4. नरवर	11.0				
5. करैरा	11.4				
6. कोलारस	48.4				
7. पोहरी	5.0				
8. बदरवास	15.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर: 1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्देरी 5. शाढौरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
***जिला गुना :** 1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला टीकमगढ़ : 1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला छतरपुर : 1. लवकुश नगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बकस्वाहा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला पन्ना : 1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूंग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, आलू कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला सागर : 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	मिलीमीटर	2. मसूर, बटरी, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अरहर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		अधिक. मसूर, अलसी, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, गेहूँ, चना, कोदों-कुटकी, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		अलसी, तुअर, राई-सरसों, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		मटर समान.		
4. जैतपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	5.4		4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	2.8		अलसी, राई-सरसों, मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	2.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		अलसी अधिक. सोयाबीन कम.		
			तिल समान.		
			(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) चना कम. गेहूँ, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्ठीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद. . .	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	8.4		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	5.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	9.5				
6. मुलताई	1.2				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	1.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. तुअर मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों गेहूँ, जौ, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	1.8		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	0.8				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	0.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बजाग	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	4.6		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	6.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	26.0				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	6.0				
6. पांढुर्णा	19.6				
7. अमरवाड़ा	12.6				
8. चौरई	6.5				
9. बिछुआ	7.0				
10. हर्रई	..				
11. मोहखेड़ा	9.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, देवास, बड़वानी, खण्डवा, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(361)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.